डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2002—पौष 26, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक 455/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा बनाया गया अध्यादेश, छत्तीसगढ़ महर्षि प्रबंधन तथा तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश को सर्वसाधारण की जानकारी के हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 1 सन् 2002)

महर्षि प्रबन्धन तथा तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002

छत्तीसगढ़ राज्य में एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और वैदिक विद्या एवं ज्ञान तथा शोध अनुसंधान की सुविधाओं को अग्रसर करने के लिये अध्यादेश.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा यह अधिनियमित हो—

अत: राज्य विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलाजी अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 1 सन् 2002) है.

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें.

परिभाषाएं.

2. इस अध्यादेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्.

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द" से अभिप्रेत है कर्मचारीवृन्द के ऐसे प्रवर्ग जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के रूप में अभिहित किए गए हैं.

(ग) "कार्यपालक समिति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कार्यपालक समिति.

(घ) "अध्ययन बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड.

(ङ) "कुलाधिपति, कुलपति और प्रति कुलपति" से अभिप्रेत है क्रमश: विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपति और प्रति कुलपति.

(च) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित तथा सम्पोषित या उससे सम्बद्ध या मान्यता प्राप्तियों उसके विशेषाधिकारों से स्वीकृत.

(छ) "विभाग" से अभिप्रेत है ऐसे परिनियमों द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय के विभाग.

(ज) "दूर शिक्षा पद्धति" से अभिप्रेत है शिक्षा देने की ऐसी पद्धति जो प्रसारण (ब्राडकास्टिंग) दूरदर्शन-प्रेषण (टेलीकास्टिंग) जैसे संचार के साधनों, पत्राचार, पाठ्यक्रमों, विचार गोष्ठियों (सेमीनार) संपर्क कार्यक्रम या ऐसे साधनों में से किन्हीं दो या अधिक साधनों के संयोजन के माध्यम से दी जाए.

(झ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारीवृन्द.

(ञ) "वित्त समिति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति.

(ट) "छात्र निवास (हॉल)" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय शिक्षा केन्द्र (केम्प) या संस्था के विद्यार्थियों के लिए निवास स्थान की या सामूहिक जीवन की इकाई.

(ठ) "संस्था" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संधारित कोई शैक्षणिक संस्था जो महाविद्यालय नहीं है.

(ड) "योजना मण्डल" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का योजना मण्डल.

(ढ) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय या संस्था का प्रधान और जब कोई प्राचार्य न हो तो उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक रूपेण नियुक्त किया गया है और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य की अनुपस्थिति में उप प्राचार्य जिसे कि रूप सम्यक रूपेण नियुक्त किया गया है.

(ण) "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली कोई संस्था जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है.

(त) "मान्यता प्राप्त अध्यापक" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी जाए, जो विश्वविद्यालय द्वारा सम्पोषित नहीं किये जाये.

(थ) "विनियम" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये विनियम जो तत्समय प्रवृत्त हो.

(द) "परिनियम और अध्यादेश" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के क्रमश: परिनियम और अध्यादेश.

(ध) "अध्यापक" के अंतर्गत आते हैं—आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), प्राध्यापक (लेक्चरर) तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय में या संस्था में जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है, शिक्षा देने के लिए या अनुसंधान कार्य का संचालन करने के लिए नियुक्त किये गये हैं, जो अध्यादेशों द्वारा अध्यापकों के रूप में अभिहित किये गये हैं.

(न) "प्रयोजक निकाय" से अभिप्रेत है महर्षि शिक्षा संस्थान द्वारा रजिस्ट्रीकरण सोसायटी, जो कि विश्वविद्यालय पर पूरा नियंत्रण रखेगा.

(प) "विद्यार्थी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और उसमें सम्मिलित है—ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसरण में स्वयं का नामांकन कराया हो.

(फ) "विदेशी विद्यार्थी" से अभिप्रेत है वह विद्यार्थी, जिसकी भारतीय राष्ट्रीयता न हो.

(ब) ''परिसर'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया सम्पोषित या मान्यता प्राप्त कोई परिसर जो सलाह देने, काउन्सिल करने, मूल्यांकन करने या विद्यार्थी के द्वारा अपेक्षित किसी अन्य सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से हो.

(भ) ''विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के अधीन स्थापित महर्षि विश्वविद्यालय प्रबंधन तथा तकनीकी.

(म) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है तीस जून को समाप्त होने वाली बारह मास की मालावधि.

(य) ''विश्वविद्यालय के अधिकारी'' से अभिप्रेत है इस अध्यादेश की धारा 8 में यथा परिभाषित अधिकारी.

विश्वविद्यालय.

3\. (1) महर्षि प्रबन्धन तथा तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा.

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में होगा तथा वह अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी जैसा कि वह उचित समझे शिक्षा केन्द्र (केम्पस) स्थापित कर सकेगा.

(3) प्रथम कुलाधिपति, कुलपति और कार्यपालक बोर्ड या विद्या परिषद् या योजना मण्डल के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाए, जब तक कि वे ऐसा पद या ऐसी सदस्यता धारण किये रहते हैं, मिलाकर, एतद्द्वारा महर्षि प्रबन्धन तथा तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन किया जाता है.

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलायेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जायेगा.

विश्वविद्यालय की शक्तियां.

4\. विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—

(1) विश्वविद्यालय की ऐसी शाखाओं में शिक्षण प्रदान करना जिसे विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे एवं अनुसंधान, प्रोन्नति एवं ज्ञान के समस्त क्षेत्रों जिसमें वैदिक अध्ययन के समस्त क्षेत्र जिसमें वैदिक विद्या, शिक्षा, कृत्य, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरूवत, न्याय, वैशेषिक, सामख्या, वेदान्त, कर्म मीमांसा, योग, उपनिषद, अरण्यक, ब्राम्हण, स्मृति, पुराण, इतिहास, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, वाब्रभट्ट संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, भेल संहिता, हारीत संहिता, कश्यप संहिता, भावप्रकाश संहिता, शारंगधर संहिता, माधव निदान संहिता, ऋग्वेद (प्राप्ति शाख्य), सामवेद (पुष्पसूत्रम), कृष्ण यजुर्वेद (तैतरीय), अथर्व वेद (चर्तुध्यायी) सम्मिलित हो, प्रसार करना.

(2) ऐसी शर्तों के, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा, मूल्यांकन या जांच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधि पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी, अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना और ऐसे उपाधि पत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं को उचित तथा पर्याप्त कारणों से वापस लेना.

(3) बर्हिवर्ती (एक्स्ट्राम्यूरल) अध्ययन, प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवा आयोजित करना और उसका जिम्मा लेना.

(4) सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में प्रदान करना.

(5) दूर शिक्षा पद्धति द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराना.

(6) उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे मान्यता देना तथा ऐसी मान्यता को वापस लेना.

(7) किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संस्था में शिक्षा देने के लिए व्यक्तियों को मान्यता देना.

(8) उन व्यक्तियों को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे हों, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त करना.

(9) अध्यापन, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना.

(10) ऐसी रीति में ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, अन्य विश्वविद्यालयों, प्राधिकारी या उच्च विद्या प्रदान करने वाली किसी अन्य संस्था के साथ सहकार करना या सहयोग करना या उनके साथ सहयुक्त होना.

(11) अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसे शिक्षा केन्द्रों, विशेष केन्द्रों, विशेषज्ञीय प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक है.

(12) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिका, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना और देना.

(13) महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा छात्र निवासों को स्थापित करना तथा उनको संधारित करना.

(14) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबंध करना तथा उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से ऐसा ठहराव करना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे.

(15) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (कोर्सेस), अभिविन्यास (ओरिएण्टेशन) पाठ्यक्रमों, कर्मशालाओं, विचार गोष्ठियों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और उनका संचालन करना.

(16) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में ऐसे विशेष इंतजाम करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे.

(17) अभ्यागत आचार्यों (विजिटिंग प्रोफेसर) प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्वानों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान दे सकें संविदा पर नियुक्त करना.

(18) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति, किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग को स्वशासी प्रस्थिति प्रदान करना.

(19) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना जिनमें परीक्षा मूल्यांकन और परीक्षण का कोई अन्य तरीका सम्मिलित हो सकेगा.

(20) प्रवेश के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्थान नियत करना.

(21) फीस तथा अन्य प्रभारों की मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना.

(22) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इंतजाम करना.

(23) कर्मचारियों के सभी प्रवर्गों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनकी आचरण संहिता भी है, अधिकथित करना.

(24) विद्यार्थियों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना तथा उसका पालन करवाना तथा इस संबंध में ऐसे अन्य अनुशासनात्मक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाए.

(25) कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इंजताम करना.

(26) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और कोई चल या अचल संपत्ति, जिसके अंतर्गत न्यास तथा विन्यास सम्पत्ति भी, अर्जित करना, धारण करना, प्रबन्ध करना और उसका व्ययन करना.

(27) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना.

(28) ऐसे समस्त अन्य कार्य तथा बातें करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषांगिक या सहायक हो.

अधिकारिता.

5. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है. दूरस्थ शिक्षा पद्धति हेतु यह अधिकारिता क्षेत्र प्रभावी नहीं होगी.

विश्वविद्यालय, सभी वर्गों हेतु खुला होना.

6. विश्वविद्यालय समस्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश, वर्ग, अधिवास स्थान के हो और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या वहां से स्नातक होने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी कोई परीक्षण अपनाए अथवा उस पर अधिरोपित करे.

परन्तु इस धारा में कि किसी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय की महिलाओं, शारीरिक रूप में विकलांग या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की ओर विशिष्ट तथा अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के नियोजन या शैक्षणिक हितों के प्रोन्नयन के लिये कोई विशेष उपबंध करने से निर्वारित करती है.

विद्यार्थीयों का निवास.

7. दूर शिक्षा पद्धति द्वारा पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाले विद्यार्थी से भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी सामान्य तथा किसी छात्र निवास या छात्रावास में ऐसी शर्तों के अधीन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए.

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

8. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(1) विजिटर
(2) कुलाधिपति
(3) कुलपति
(4) प्रतिकुलपति
(5) प्राध्ययन केन्द्र (स्कूल) के संकायाध्यक्ष
(6) कुलसचिव

(7) वित्त अधिकारी

(8) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाए.

9. (1) छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे. विजिटर.

(2) विजिटर को यह अधिकार होगा कि वे किन्हीं व्यक्ति/व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के निरीक्षण हेतु निर्देशित कर सकेंगे.वे विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्था के भवन, प्रयोगशाला तथा उपकरण आदि का निरीक्षण कर सकेंगे. वे विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा, शिक्षा तथा अन्य संबंधित कार्यों का भी निरीक्षण कर सकेंगे एवं वे उक्त से संबंधित किसी भी प्रकरण पर जांच भी कर सकते हैं.

(3) विजिटर द्वारा प्रत्येक प्रकरण पर किये जाने वाली जांच/निरीक्षण की मंशा हेतु विश्वविद्यालय को सूचना दी जावेगी तथा विश्वविद्यालय उक्त निरीक्षण/जांच हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने हेतु अधिकृत होगा, जिसे उक्त निरीक्षण/जांच पर उपस्थित होने तथा सुने जाने का अधिकार होगा.

(4) विजिटर निरीक्षण/जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सूचित करेंगे तथा कुलपति विजिटर द्वारा लिये गये निर्णय/परामर्श से कार्य परिषद् को सूचित करेंगे तथा उस पर कार्यवाही किये जाने को बतायेंगे.

(5) कार्य परिषद्, कुलपति के माध्यम से विजिटर को निरीक्षण/जांच पर की गई कार्यवाही/यदि कोई हो, तो प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना प्रेषित करेगी.

(6) यदि कार्य परिषद् पर्याप्त समय के अन्दर विजिटर के संतोष के अनुरूप कार्यवाही नहीं करती है, तो विजिटर कार्य परिषद् द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण/निवेदन पर विचार करने के उपरान्त जैसा वे उचित समझे, निर्देश प्रेषित कर सकेंगे तथा कार्य परिषद् उक्त निर्देश का पालन करने के लिये बाध्य होगी.

(7) इस धारा के प्रावधान पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विजिटर लिखित आदेश के द्वारा विश्वविद्यालय की कोई भी कार्यवाही जो कि अध्यादेश, परिनियम अथवा अध्यादेश के अनुकूल नहीं है, रद्द कर सकते हैं.

उस उपबंध पर कि उक्त आदेश प्रेषित करने के पूर्व विश्वविद्यालय को उक्त हेतु कारण बताओ नोटिस दिया जावे कि क्यों न उनके विरुद्ध यह आदेश किया जाय तथा इस हेतु यदि पर्याप्त समय के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा कोई कारण दिया गया हो, तो उस पर भी विचार करेंगे.

10. (1) महर्षि महेश योगी प्रथम कुलाधिपति होंगे और अपने जीवन पर्यन्त पद धारण करेंगे. कुलाधिपति.

(2) प्रथम कुलाधिपति के पश्चात् कार्यकारिणी समिति शिक्षा के अग्रगण्य व्यक्तियों में से तथा विख्यात विद्वानों में से एक कुलाधिपति नियुक्त करेगा जो पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

(3) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा.

(4) कुलाधिपति, उपस्थित होने पर उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उसे ऐसी शक्तियां भी प्रत्यायोजित की जा सकेगी जो जहां कहीं भी आवश्यक हों.

11. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए. कुलपति.

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक प्रमुख होगा और विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा.

(3) कुलपति, यदि उसकी राय में यह है कि किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही को जाना आवश्यक है, किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन की गई है और ऐसे मामले में अपने द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा.

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

(4) कुलपति, यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अध्यादेश, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा उस प्राधिकारी को प्रदान की गई शक्तियों के परे है, या यह कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, संबंधित प्राधिकारी से यह अनुरोध कर सकेगा कि वह अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन, ऐसे विनिश्चय के पन्द्रह दिन के भीतर करे और यदि वह प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इन्कार करता है या साठ दिन की उक्त कालावधि के भीतर उसकें द्वारा उस पर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाएं.

प्रति कुलपति. 12. एक या अधिक प्रति कुलपति ऐसी रीति में नियुक्त किये जा सकेंगे और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

प्राध्ययन केन्द्रों (स्कूलों) के संकायाध्यक्ष. 13. किसी प्राध्ययन केन्द्र (स्कूल) का प्रत्येक संकायाध्यक्ष ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

कुलसचिव. 14. (1) कुलसचिव ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

वित्त अधिकारी. 15. वित्त अधिकारी ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

अन्य अधिकारी 16. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की ऐसी रीति में नियुक्त किया जायेगा तथा उनकी शक्तियां और उनके कर्त्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किये जाएंगे.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी. 17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

(1) कार्यपालक समिति
(2) विद्या परिषद्
(3) योजना बोर्ड
(4) अध्ययन बोर्ड
(5) वित्त समिति, और
(6) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाए.

कार्यपालक समिति. 18. (1) कार्यपालक बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा और इसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) कुलपति

(दो) प्रति कुलपति

(तीन) प्राध्ययन केन्द्रों (स्कूल ऑफस्टडीज) का एक संकायाध्यक्ष जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा.

(चार) विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष जो संकायाध्यक्ष नहीं हो, कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नामनिर्देशित किया जाएगा.

(पांच) एक आचार्य (प्रोफेसर) जो संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष नहीं हो, कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जायेगा.

(छ:) एक उपाचार्य (रीडर) जो विभागाध्यक्ष नहीं हो, कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा.

(सात) एक व्याख्याता जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा.

(आठ) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती.

(नौ) वैदिक शिक्षा में और/या सार्वजनिक जीवन में विशिष्टता प्राप्त चार व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाएंगे.

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न कार्यपालक बोर्ड के समस्त सदस्य, उस रूप में उनके नामनिर्देशन अथवा नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे.

(3) बोर्ड के सम्मिलन के लिए कार्यपालक बोर्ड के सात सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

कार्यपालक परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

19. (1) कार्यपालक परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व तथा सम्पत्ति के प्रबंध और प्रशासन की ओर विश्वविद्यालय के उन समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके संबंध में अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी.

(2) कार्यपालक परिषद् को इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात्—

(एक) अध्यापन तथा शैक्षणिक पद सृजित करना, ऐसे पदों में संख्या तथा उपलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, उपाचार्यों, व्याख्याताओं तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संधारित संस्थाओं के प्राचार्यों के कर्त्तव्य और सेवा की शर्तें परिभाषित करना.

परन्तु कार्यपालक परिषद् द्वारा अध्यापकों तथा शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों के संबंध में कोई भी कार्यवाही विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् ही की जाएगी अन्यथा नहीं.

(दो) इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति की अनुशंसा पर ऐसे आचार्यों, उपाचार्यों, व्याख्याताओं तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द जैसे कि आवश्यक हो और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संधारित संस्थाओं के प्राचार्यों को नियुक्त करना और उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना.

(तीन) प्रशासनिक, अनुसचिवीय तथा अन्य आवश्यक पद सृजित करना और उसमें ऐसी रीति में नियुक्तियां करना, जैसा कि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए.

(चार) कुलाधिपति तथा कुलपति को छोड़कर विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की अनुपस्थिति-अवकाश स्वीकृत करना और ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना.

(पांच) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और उसे लागू कराना.

(छ:) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे विनिधान, सम्पत्ति, कामकाज तथा समस्त अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध करना और उनका विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्त्ताओं को नियुक्त करना जैसा कि वह उचित समझे.

(सात) वित्त समिति की अनुशंसा पर किसी वर्ष में कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्ययों की सीमा नियत करना.

(आठ) विश्वविद्यालय के किसी भी धन का जिसमें अनुपयोजित आय भी सम्मिलित है, समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, अंशों या प्रतिभूतियों में, जैसे कि वह उचित समझे, विनिधान करना या भारत में अचल सम्पत्ति के प्रयोजन के लिए, ऐसे भिन्न-भिन्न विनिधानों को करने की वैसी ही शक्तियों के साथ समय-समय पर विनिधान करना.

(नौ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना.

(दस) विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और उपस्कर और अन्य साधनों की व्यवस्था करना.

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें फेरबदल करना, उन्हें निष्पादित करना और उन्हें रद्द करना.

(बारह) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और विद्यार्थियों की, जो किसी भी कारण से व्यथित अनुभव करते हैं, शिकायतें ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और यदि उचित समझी जाएं तो उन्हें दूर करना.

(तेरह) विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटर) को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना, और उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा एवं भत्ते नियत करना.

(चौदह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उसका उपयोग करने के लिए उपबंध करना.

(पन्द्रह) महिला विद्यार्थियों के निवास और अनुशासन के लिए ऐसी विशेष इंतजाम करना जैसा कि आवश्यक हो.

(सोलह) अपनी शक्तियों में से किन्हीं ऐसी शक्तियों को, जैसी कि वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, संकायाध्यक्षों, कुल सचिव या वित्त अधिकारी या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी ऐसी समिति को प्रत्यायोजित करना.

(सत्रह) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कार संस्थित करना.

(अठारह) (अ) एक मुद्रण, प्रकाशन एवं अनुवाद ब्यूरो;

(ब) एक-सूचना ब्यूरो; एवं

(स) एक रोजगार ब्यूरो संस्थित एवं प्रबंध करना.

(उन्नीस) अभ्यागत आचार्यों (विजिटिंग प्रोफेसर), प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति के लिए उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधन तथा शर्तें अवधारित करना, और

(बीस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं.

20. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय करेगी और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी. विद्या परिषद्.

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां तथा कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे.

21. (1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा. योजना बोर्ड.

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां तथा कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे.

परन्तु योजना बोर्ड में अध्यापनेत्तर कर्मचारीवृन्द को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.

22. प्राध्ययन केन्द्रों के बोर्ड (बोर्ड ऑफ स्कूल) का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे. प्राध्ययन केन्द्रों का बोर्ड.

23. वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे. वित्त समिति.

24. ऐसे अन्य प्राधिकरणों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जाए, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण.

25. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :— परिनियम बनाने की शक्ति.

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का जो समय-समय पर गठित किये गये गठन, उनकी शक्तियां तथा कृत्य.

(ख) उपरोक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन, उनका पद पर बना रहना, जिसमें सदस्यों के रिक्त स्थानों का भरा जाना सम्मिलित है और उन प्राधिकरणों तथा निकायों से संबंधित समस्त अन्य मामले.

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्त्तव्य और उनकी उपलब्धियां.

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, जिनके अंतर्गत अनुशासनात्मक मामले सम्मिलित है.

(ङ) उपाधियों के वितरण हेतु दीक्षान्त समारोह का आयोजन.

(च) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की किसी संयुक्त परियोजना को हाथ में लेने के लिए किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए नियुक्ति.

(छ) कर्मचारियों या विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय में मध्य विवाद के मामलों में मध्यस्थ के लिये प्रक्रिया.

(ज) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की किसी कार्यवाही के विरुद्ध किसी कर्मचारी या विद्यार्थी द्वारा कार्यपालक मण्डल को अपील करने के लिए प्रक्रिया.

(झ) किसी महाविद्यालय या संस्था या किसी विभाग को स्वशासी परिस्थिति प्रदान किया जाना.

(ञ) प्राध्ययन केन्द्रों, विभागों, केन्द्रों, छात्र निवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और उनका उत्सादन.

(त) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना.

(थ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित किया जाना.

(द) उपाधियां, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं वापस लिया जाना.

(ध) किसी अन्य निकाय का सृजन, उसकी संरचना तथा उसके कृत्य जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक समझे.

(न) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन.

(प) कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखा जाना.

(फ) समस्त अन्य ऐसे विषय जिनके संबंध में परिनियमों द्वारा उपबंध किया जाना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है.

परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे.

26. (1) कार्यपालक समिति, समय-समय पर ऐसे परिनियम बना सकेगा जो अधिनियम के उद्देश्यों के संगत हो.

परन्तु कार्यपालक बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को तब तक नहीं बनाएंगा, उसे संशोधित या विरसित नहीं करेगा जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में लिखित में राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर कार्यपालक बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा.

(2) प्रत्येक परिनियम या किसी परिनियम में किसी संशोधन या उसके निरसन के लिए कुलाधिपति की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या उसे कार्यपालक बोर्ड को पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा.

(3) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,कुलाधिपति अपवादिक परिस्थितियों में कार्यपालक बोर्ड को निर्देश दे सकेगा कि वह कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी मामले के संबंध में परिनियमों में उपबन्ध करे और यदि कार्यपालक बोर्ड ऐसे निर्देश का उसकी प्राप्ति से साठ दिन के भीतर क्रियान्वयन करने में असमर्थ रहता है तो कुलाधिपति, कार्यपालक बोर्ड द्वारा ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगा या उसे यथोचित रूप से संशोधित कर सकेगा.

27. (1) समस्त अध्यादेश, कुलपति द्वारा कार्यपालक समिति के पूर्व अनुमोदन से बनाये जायेंगे. अध्यादेश बनाने की शक्ति.

(2) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, यथा—

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा इस रूप में उनका नामांकन.

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, पत्रोपाधियों तथा प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किया जाने वाला पाठ्यक्रम.

(ग) शिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम.

(घ) उपाधियां, उपाधिपत्रों, प्रमाण पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान की जाना, उनके लिए अर्हताएं और उनके प्रदान किये जाने तथा अभिप्राप्ति किये जाने के संबंध में किये जाने वाले उपाय.

(ङ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों हेतु और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के लिए प्रवेश देने हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस.

(च) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं, पदकों तथा पुरस्कारों के प्रदान किये जाने के लिए शर्तें.

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसमें परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों और अनुशीमकों (मॉडरेटर्स) की पदावधि, नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्य सम्मिलित है.

(ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें.

(झ) विशेष इंतजाम, यदि कोई हो, जो महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किये जा सकते हों और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का विहित किया जाना.

(ञ) जिन कर्मचारियों के लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है उनसे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उपलब्धियां.

(त) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं तथा अन्य समितियों की स्थापना.

(थ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों जिनमें विद्वत निकाय या संगम सम्मिलित है. के साथ सहकार तथा सहयोग की रीति.

(ध) किसी अन्य निकाय का सृजन, उसकी संरचना तथा उसके कृत्य जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक समझे जाए.

(न) अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के ऐसे अन्य निबंधन तथा सेवा की शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं की गई है.

(प) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये महाविद्यालयों तथा संस्थाओं का प्रबंध.

(फ) कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना करना. और

(ब) समस्त अन्य विषय जिनके संबंध में अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाना, इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित है.

विनियम.

28. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अपने स्वयं के और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के, यदि कोई हो, और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा कोई उपबंध नहीं किया गया है कामकाज के संचालन के लिए, ऐसे विनियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हो.

वार्षिक रिपोर्ट.

29. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समयक रूपेण संपरीक्षित वार्षिक लेखे तथा तुलना पत्र सम्मिलित है कार्यपालक बोर्ड के निर्देशों के अधीन प्रतिवर्ष तैयार की जाएगी और उसमें अन्य विषयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गये उपायों को भी सम्मिलित किया जाएगा.

(2) इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को या उसके पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी.

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को या उसके पूर्व शिक्षा मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन को भी प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशक्ति उसे विधान सभा के समक्ष रखवाएगी.

कर्मचारियों की सेवा शर्तें.

30. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा. ऐसी संविदा विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी.

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी कर्मचारी के मध्य किसी संविदा से उद्भूत कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर एक ऐसे माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कार्यपालक परिषद् द्वारा नियुक्त किया गया एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक सदस्य तथा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया गया एक अधिनिर्णायक सम्मिलित होगा.

(3) ऐसे मामले में अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा.

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी.

विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील तथा माध्यस्थम की प्रक्रिया.

31. (1) परीक्षा के लिए कोई विद्यार्थी या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति द्वारा आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामावली से हटा दिया गया है और जिसे एक वर्ष से अधिक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से विवर्जित कर दिया गया है उसके द्वारा ऐसे आदेश की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्यपालक बोर्ड को अपील कर सकेगा और कार्यपालक बोर्ड, यथास्थिति कुलपति या समिति के विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा.

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी विद्यार्थी के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्यवाही से उद्भूत कोई विवाद, ऐसे विद्यार्थी के अनुरोध पर, माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और धारा 29

की उपधारा (2), (3) तथा (4) के उपबन्ध यथाशक्य, इस उपधारा के अधीन किये गये निर्देश को लागू होंगे.

32. विश्वविद्यालय के या किसी महाविद्यालय के या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था के किसी कर्मचारी या विद्यार्थी को, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध कार्यपालक बोर्ड को अपील ऐसे समय के भीतर करने के अधिकार होगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए और तदुपरांत कार्यपालक बोर्ड ऐसे विनिश्चय कि जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा. अपील का अधिकार.

33. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्याधीन रखते हुए जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि गठित करेगा तथा ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसा कि वह उचित समझे. भविष्य तथा पेंशन विधि.

34. यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन के बारे में विवाद.

35. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है वहां अन्यथा उपबंधित के सिवाय ऐसी समितियों में संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसा अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसे प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे. समितियों का गठन.

36. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां, यथाशक्य शीघ्र, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को जिसका सीट रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और इस प्रकार किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस व्यक्ति की अवशिष्ट अवधि के लिए रहेगा जिस व्यक्ति के स्थान की उसने पूर्ति की हो. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

37. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान है. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहियों के कारण अविधिमान्य न होना.

38. व्यक्ति की ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्‌भावपूर्णक की गई है या जिसका सद्‌भावपूर्वक किया जाना आशय रहा है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण.

39. इस अधिनियम तथा परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी— संक्रमण कालीन उपबंध.

(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उक्त अधिकारी पांच वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा.

(ख) प्रथम कुलसचिव तथा प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उक्त अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा.

(ग) प्रथम कार्यपालक बोर्ड में जो कुलाधिपति द्वारा नामित किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

(घ) प्रथम विद्या परिषद् तथा प्रथम योजना बोर्ड को कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा.

परन्तु उपरोक्त पदों या प्राधिकारियों में कोई रिक्ति होती है तो उसे कुलाधिपति द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति, तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह अधिकारी या व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामित किया गया है ऐसा पद धारण किये रहता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती.

परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

40. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा.

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों को ऐसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति आती है जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व की तारीख नहीं होगी, परन्तु किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश या विनियम को ऐसा भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिसे किसी ऐसे व्यक्ति के जिसे ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू होता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.